न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 10/2018
सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 43/18

राजस्थान सरकार जरिये भागचन्द गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर

................प्रार्थी

बनाम

1.श्री कैलाश जांगिड पुत्र श्री रतनलाल जांगिड
निवासी अखाडे वाले बालाजी के पास, रामतलायी, मसूदा, जिला–अजमेर

............अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी — पेरोकार सरकार
श्री वी.एस. भाटी — अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 30.05.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि अवैध गैस रिफलिंग की सूचना पर दिनांक 18.02.2018 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (द्वितीय) के नेतृत्व में प्रार्थीएवं हेमन्त आर्य, प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा अप्रार्थी के निवास पर पहुँच कर जांच किये जाने पर मौके पर अप्रार्थी द्वारा मारूती वैन आर.जे.36 यू.ए. 2108 में बैटरी चालित रिफिलिंग पम्प के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफिलिंग करता पाया गया। घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (सी) की अवेहलना है। मौंके पर पाये गये 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक रिफिलिंग पम्प, 01, रेग्यूलेटर, 01 बांसूरी, तथा रिफलिंग पाईप को राजहित में कब्जेराज लेकर विष्णु तेली पुत्र श्री टीकमचन्द तेली मैनेजर, राज भारत गैस एजेन्सी, मसूदा तथा जब्त एक मारूति वैन आर.जे.36 यू.ए. 2108 को राजहित में कब्जेराज लेकर तेजमल (हैड कॉनिस्टेबल) पुत्र श्री भारूराम हाल थाना मसूदा को सुपुर्दगी में दिया गया। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक रिफिलिंग पम्प, 01, रेग्यूलेटर, 01 बांसूरी, रिफलिंग पाईप तथा जब्त एक मारूति वैन आर.जे.36 यू.ए. 2108 को राजसात करने के आदेश हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये, जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थिया सीमा देवी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451 द0प्र0संहिता वास्ते वाहन मारूति वैन आर.जे.36 यू.ए. 2108 को सुपुर्दगी में दिए जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अवैध गैस रिफलिंग की सूचना पर दिनांक 18.02.2018 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (द्वितीय) के नेतृत्व में प्रार्थी एवं हेमन्त आर्य, प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा अप्रार्थी के निवास पर पहुँच

जिला कलक्टर
अजमेर

कर जांच किये जाने पर मौके पर अप्रार्थी, मारूती वैन आर.जे.36 यू.ए. 2108 में बैटरी चालित रिफिलिंग पम्प के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफिलिंग करता पाया गया। घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (सी) की अवेहलना है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक रिफिलिंग पम्प, 01, रेग्यूलेटर, 01 बांसूरी, रिफलिंग पाईप तथा जब्त एक मारूति वैन आर.जे.36 यू.ए. 2108 को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब एवं सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी पैरोकार सरकार के कथन कि "अप्रार्थी मौके पर मारूती वैन आर.जे.36 यू.ए. 2108 में बैटरी चालित रिफिलिंग पम्प के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफिलिंग करता पाया गया" सरासर असत्य, मनगढन्त, बेबुनियाद है। अप्रार्थी मौके पर मौजूद नहीं था। अप्रार्थी की पुत्री द्वारा मोबाइल पर उक्त जांच की सूचना दिये जाने पर अप्रार्थी मौके पर पहूँचा था। जिस मारूती वेन में अवैध रिफलिंग का जिक किया गया है वह उसकी स्वंय की है जिसका रजिस्ट्रेशन अपनी पत्नी सीमा देवी के नाम से करवा रखा है। प्रकरण में जिस घरेलु गैस सिलेण्डर का जिक किया गया वह घर पर खाना बनाने के उपयोग में आ रहा था जो खाली हो जाने से नया सिलेण्डर भरवाने हेतु मौके पर रखा गया था। अप्रार्थी ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है उसके पास बेट्री चालित रिफलिंग पम्प से रिफलिंग किये जाने की तकनीकी जानकारी नहीं होने से यह संभव ही नहीं है। निरीक्षण पर्चा में बिजली चालित मोटर द्वारा गैस रिफिलिंग किये जाने के तथ्य दर्शाये है इस प्रकार प्रार्थी के कथनो में भारी विराधोभास है। प्रार्थी द्वारा मौके से मारूती वैन एवं घरेलू गैस सिलेण्डर मनमाने तरीके से कार्यवाही करते हुए बिना अप्रार्थी एवं मौके पर उपस्थित लोगों को सुने जब्त किये गये है। कार्यवाही दौरान मौके पर उपस्थित आमजन/गवाहान के शपथ पत्र जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत किये है जो वास्तविक स्थिति जाहिर करते है। अतः प्रार्थी का जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर एवं मारूति वैन आर.जे.36 यू.ए. 2108 को छोडे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया सीमादेवी पत्नी श्री कैलाशचन्द जांगिड, निवासी रामतलायी, मसूदा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया मारूती वैन आर.जे.36 यू.ए. 2108 की पंजीकृत स्वामिनी है। प्रार्थिया की मारूती वैन, अवैध गैस रिफलिंग का झूठा प्रकरण बना कर जब्त की गई है जो कि प्रार्थिया के परिवार के यातायात का एक मात्र साधन है जिसके जब्त किये जाने से प्रार्थिया को काफी आर्थिक हानि एवं असुविधा का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थिया की मारूती वैन आर.जे.36 यू.ए. 2108 को सुपुर्दगीनामा पर छोडे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त जांच मौके पर अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर से मारूती वैन आर.जे.36 यू.ए. 2108 में बैटरी चालित रिफिलिंग पम्प के माध्यम से अवैध रिफिलिंग करता पाया गया है जो मौके पर तैयार निरीक्षण पर्चा व फर्द अभिग्रहण व सुपुर्दगीनामा जिस पर अप्रार्थी, निरीक्षण दल एवं मौके पर मौजूदर साक्षियों के हस्ताक्षर है से भी स्पष्ट है। घरेलु गैस सिलेण्डर की गैस का अवैध रूप से वाहन में रिफिलिंग कर ईंधन के रूप में दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (सी) का स्पष्ट उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है मौके से जप्त समस्त सामग्री 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक

जिला कलक्टर
अजमेर

फिलिंग पम्प, 01, रेग्यूलेटर, 01 बांसूरी, रिफलिंग पाईप को राजसात किया जाता है। मारूती वैन आर.जे.36 यू.ए. 2108 में रिफिलिंग मशीन के जरिऐ घरेलू गैस भर कर ईंधन के रूप में अवैध उपयोग के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के प्रावधानों के तहत वाहन मारूति वैन सं. आर.जे.36 यू.ए. 2108 पर रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार मात्र) जुर्माना राशि कायम की जाती है। राशि जमा होने पर उपरोक्त वाहन के किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो बाद स्वामित्व सन्तुष्टी के सम्बन्धित को सोंप दिया जावे। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा दर्ज/फैसल हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर